तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/893/2023/बीकानेर नारायणराम उर्फ रामनारायण बनाम मोडाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.2023	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री रामसुख चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी **निर्णय** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत न्यायालय उखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–02–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी के एडमिशन व स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड आदेश है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नानॅ रिजण्ड व नॉन स्पीकिंग आदेश एक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 5 सी0पी0सी0परीक्षण न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं था, क्योंकि आदेश 41 नियम 5 सी0पी0सी0 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एवं आदेश की क्रियांविती रोकने के प्रावधान है जबकि परीक्षण न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र का परीक्षण कर आदेश पारित करते है। अर्थात परीक्षण न्यायालय को अपीलीय न्यायालय नहीं होने से उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश क्षेत्राधिकार विहीन आदेश है, जो निरस्तनीय है। बहस के अंत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/893/2023/बीकानेर नारायणराम उर्फ रामनारायण बनाम मोडाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकार प्रकरण के संपूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि निगराधीन निर्णय दिनांक 09.01.23 में उपखण्ड अधिकारी ने इस प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर विधिअनुसार रास्ता स्वीकृत किया गया था। उक्त स्वीकृत रास्ते के संबंध में निगरागार/प्रार्थी पक्ष द्वारा भूमि की निर्धारित राशि भी जमा करवा दी थी परन्तु दिनांक 01.02.23 और गैर निगराकार पक्ष के आदेश 41 नियम 5 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर उसी दिन अपने पूर्व निर्णय की पालना स्थगित करने का आदेश पारित कर दिया। इसके सबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश 41 नियम 5 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर ना तो प्रति निगराकार पक्ष को दी गयी एवं ना ही इसका जबाव भी लिया गया। इसके सबंध में निगरागार पक्ष की बिना सुनवाई किये ही उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 सी0पी0सी0 स्वीकार कर लिया गया है जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश 41 नियम 5 सी0पी0सी0के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किये जाने से उक्त आदेश विधि विरूद्ध पाया जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। परन्तु धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्दत शक्तियों का उपयोग	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/893/2023/बीकानेर नारायणराम उर्फ रामनारायण बनाम मोडाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करते हुये हम परीक्षण न्यायालय को यह निर्देश दिया जाना उचित समझते है कि वह उनके यहां विचाराधीन प्रकरण में दी गयी आगामी तारीख पेशी या दिनांक 16.02.23 को उभयपक्षों को सुनकर विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	